संख्या–410 / पॉच–9–2014–9(178) / 11

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 4 मार्च, 2014

विषय:– प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरण हेतु ''किशोरी सुरक्षा योजना'' लागू किया जाना।

महोदय,

किशोरियों के स्वास्थ्य और सम्मान के लिये सुरक्षित माहवारी एवं व्यक्तिगत साफ–सफाई अति आवश्यक है। किशोरियों (10 से 19 वर्ष) की संख्या कुल जनसंख्या की लगभग 11 प्रतिशत होती है। किशोरावस्था में शरीर में हो रहे हार्मोन के बदलाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर असर पड़ता है तथा उनके अन्दर तरह–तरह की जिज्ञासायें उत्पन्न होती हैं, जिसके बारे में वे संकोचवश सही जानकारी प्राप्त नही कर पाती हैं। माहवारी के दौरान स्कूलों में किशोरियों की उपस्थिति में कमी तथा स्कूल छोड़ देने जैसी समस्यायें आती हैं। एन0एफ0एच0एस0–3 के सर्वे के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत किशोरियाँ कक्षा 7 के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं। किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निदान मेन्सट्रुअल हाईजीन के बारे में सही जानकारी देकर किया जा सकता है।

2. उत्तर प्रदेश के 03 जिलों (मिर्जापुर, सोनभद्र एवं जौनपुर) में यूनीसेफ के द्वारा वर्ष 2012 में किये गये सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि लगभग 85 प्रतिशत किशोरियाँ अभी भी माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। लगभग 96 प्रतिशत मातायें एवं 73 प्रतिशत प्रथम स्तरीय कार्यकर्ता भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। लगभग 42 प्रतिशत किशोरियाँ माहवारी में इस्तेमाल करने से पूर्व कपड़े को धोती नहीं हैं। लगभग 30 प्रतिशत किशोरियाँ बार–बार कपड़ों को धोकर इस्तेमाल करती हैं तथा उनको कपड़े को सुखाने तथा इसके रख–रखाव का सही ज्ञान नहीं है। इस सर्वे में यह भी पाया गया है कि लगभग 11 प्रतिशत किशोरियों को ही मासिक धर्म के अन्तर्गत आन्तरिक परिवर्तन के विषय में जानकारी थी। लगभग 50 प्रतिशत किशोरियाँ मासिक धर्म को बीमारी के रूप में देखती हैं एवं प्रथम बार में इससे भयभीत हो जाती हैं। केवल 10 प्रतिशत किशोरियाँ यह जानती थीं कि कपड़े को धोकर धूप में सुखाना चाहिये। अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी एक स्टिग्मा के रूप में देखी जाती है तथा माहवारी में स्वच्छता के बारे में जानकारी के अभाव, सैनेटरी नैपकीन्स की पहुँच से दूर होना, गरीबी एवं प्रचलित रूढ़िवादिता के कारण संक्रमण की सम्भावना बहुत अधिक रहती है।

3. माहवारी के विषय में जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों के दूर करने तथा किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु जानकारी दिया जाना तथा

अच्छी गुणवत्ता के सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि उनकी गतिशीलता, व्यक्तिगत सहजता एवं उनका आत्मविश्वास बना रहे।

4. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को मासिक धर्म स्वच्छता हेतु सेनेटरी नैपकिन्स के निःशुल्क वितरण हेतु "किशोरी सुरक्षा योजना" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:–

(1) किशोरी सुरक्षा योजनाः–

प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 06 से 08 तक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत किशोरियों सहित) को प्रदेश के संसाधनों से हाइजनिक मेन्स्ट्रुअल सेनेटरी नैपकिन्स का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

(2) योजना का उद्देश्य–

किशोरियों को निःशुल्क मेन्स्ट्रुअल नैपकिन्स उपलब्ध कराने की किशोरी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैः–

- प्रदेश में किशोरियों मे माहवारी सम्बन्धी प्रचलित भ्रान्तियों को दूर कर उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराना।
- किशोरियों में आत्म विश्वास बढ़ाना, जिससे उनकी सामाजिक गतिविधियों में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- सैनेटरी नैपकिन्स के उपयोग की आदत को बढ़ावा देना, जिससे वे उसके महत्व का अनुभव करें एवं भविष्य में खरीद कर भी इस्तेमाल करें।
- किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन्स की उपलब्धता कराकर स्कूलों मे ड्राप–आउट की संख्या में गिरावट लाना।
- किशोरियों में प्रजनन सम्बन्धी बीमारियों एवं संक्रमण में कमी लाना तथा इससे होने वाले बाँझपन में कमी लाना।

(3) सेनेटरी नैपकिन्स की क्रय व्यवस्था–

गुणवत्तायुक्त सैनेटरी नैपकिन्स के क्रय हेतु सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा क्रय संबंधी नियमों के अन्तर्गत दर अनुबंध की कार्यवाही की जायेगी। क्रय किये जाने वाले कुल सेनेटरी नैपकिन्स की मात्रा के अधिकतम् 50 प्रतिशत तक आपूर्ति आदेश सी0एम0एस0डी0 द्वारा किये दर अनुबंध की दर पर, निर्धारित मानकों की पूर्ति की शर्त के अधीन, यू0पी0डी0पी0एल0 को और अधिकतम् 10 प्रतिशत की मात्रा तक के आपूर्ति आदेश पंचायत उद्योगों को दिये जा सकेंगे। यू0पी0डी0पी0एल0 अथवा पंचायत उद्योगों द्वारा आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में अवशेष आपूर्ति का आदेश भी दर अनुबंधित फर्मों को दे दिया जायेगा।

(4) योजना का क्रियान्वयन–

(i) स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों की संख्या मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का होगा।

(ii) सेनेटरी नैपकिन्स की प्राप्ति, उनका वितरण एवं अभिलेखों का रखरखाव स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।

(iii) सेनेटरी नैपकिन्स की प्राप्ति एवं वितरण का विवरण स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति माह जिला स्वास्थ्य सनिति को प्रेषित किया जायेगा।

(5) योजना का अनुश्रवण–

(i) योजना का नियमित एवं सघन अनुश्रवण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा।

(ii) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति माह योजना की प्रगति आख्य महानिदेशक परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

(iii) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर पर प्रत्येक माह योजना के कियान्वयन/अनुश्रवण की समीक्षाकर प्रगति आख्या शासन को प्रेषित की जायेगी।

(6) योजना का व्यय भार–

इस योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय अनुदान संख्या–32 के लेखाशीर्षक "2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य" के सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

5– कृपया वर्णित व्यवस्था के अधीन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6/3/14

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

संख्या– 610 (1)/पॉच–9–2014, [redacted]दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
(3) प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त प्रस्तर–4 के उप–प्रस्तर–6 पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
(9) महानिदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(10) समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(11) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
(12) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना हेतु आवश्यक बजटीय व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
(13) सहायक निदेशक, सूचना, उ0प्र0 शासन।
(14) कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।
(15) गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।